राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः–एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2010/पार्ट–2 जयपुर, दिनांक : 29 SEP 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त राजस्थान

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के अनुबन्ध में क्रम में।

संदर्भः– विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय समसंख्यक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत संविदा कार्मिकों को नये अनुबन्ध के तहत 5वें वर्ष में देय पारिश्रमिक पर रखे जाने एवं नये अनुबन्ध में एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पारिश्रमिक में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

जिला परिषद कोटा के एक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र के विपरीत संविदा कर्मियों से अनुबन्ध किये जाने पर गम्भीर टिप्पणी की है। अतः विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश की अनुपालना रिपोर्ट दिनांक 30.09.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

29.9.2016

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 10(7)/ग्रावि./नरेगा/संविदा/2010 पार्ट-2 जयपुर दिनांक : 15.05.2015

कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.03.2015 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति पर सृजित पदों पर पहले से प्रतिनियुक्त एवं संविदा कार्मिकों की समयावधि निरन्तर जारी रखते हुये दिनांक 30.06.2015 तक बढायी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इसी कम में इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 13.10.2014 के बिन्दु संख्या 4 में आंशिक संशोधन करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत संविदा कर्मियों को नये अनुबन्ध के तहत 5वें वर्ष में देय पारिश्रमिक पर रखा जायेगा। नये अनुबन्ध में एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पारिश्रमिक में वृद्धि देय होगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संविदा कार्मिकों को पारिश्रमिक में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देय होगी।

इसी प्रकार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ऐसे संविदा कार्मिक जिन्होंने बिना व्यवधान के लगातार 5 वर्ष की संविदा सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें **पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट 1972** की धारा 4(1) के तहत संविदा सेवा समाप्ति पर नियमानुसार ग्रेच्यूटी राशि देय होगी। गेच्यूटी की राशि देने की प्रकिया **पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट (सेन्ट्रल) रूल्स 1972** में वर्णनानुसार होगी।

यह आदेश वित्त विभाग की आईडी कमांक 101501432 दिनांक 14.05.2015 एवं विधि विभाग की आईडी कमांक 216/M/Law/15 दिनांक 10.04.2015 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

15/5/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस